न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज0)

पीठासीन अधिकारी अनिता कुमारी खटीक (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

प्रार्थना पत्र संख्या–30/2021

प्रार्थना पत्र प्रविष्टि दिनांक–09.06.2021

निर्णय दिनांक–01.01.2025

1. रामफूल पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति गुर्जर निवासी ग्राम पीपलू तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
2. श्योजीराम पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति गुर्जर निवासी ग्राम पीपलू तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
3. हरजीराम पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति गुर्जर निवासी ग्राम पीपलू तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
4. पन्नालाल पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति गुर्जर निवासी ग्राम पीपलू तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
5. महावीर पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति गुर्जर निवासी ग्राम पीपलू तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

प्रार्थीगण

बनाम

1. नानूलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति गुर्जर निवासी ग्राम पीपलू तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
2. तहसीलदार पीपलू
3. उप पंजीयक पीपलू
4. बैंक ऑफ बडौदा, शाखा प्रबन्धक पीपलू

प्रतिपक्षीगण

अधिवक्ता प्रार्थीगण–श्री राजाराम चौधरी एड0

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01–विवेक चौधरी

वाद बाबत् घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज, विभाजन आराजीयात तथा स्थायी निषेधाज्ञा

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि भूमि आराजी ख0न0 3958 रकबा 07–08 बीघा, ख0न0 3985 रकबा 02–00 बीघा, ख0न0 3958/4212 रकबा 01–01 बीघा ग्राम पीपलू जिला

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

क मे स्थित है। जिसमे वर्तमान मे प्रार्थीगण तथा प्रतिपक्षी संख्या 01 का हिस्से के अनुसार मौके पर कब्जा
श्त है एवं उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। पक्षकारान एक ही हिन्दू परिवार के सदस्य है. जो भूरी देवी
लि लक्ष्मीनारायण के पुत्र है. भूरी देवी का पिता माधोलाल पुत्र सुजाणा गुर्जर था। जिसके कोई पुत्र संतान नही
। केवल एक ही पुत्री संतान थी, जो प्रार्थीगण की माता थी। माधोलाल तथा भूरी देवी लक्ष्मीनारायण का देहान्त
चुका है। प्रतिपक्षी संख्या 01 भी प्रार्थीगण का भाई है। उक्त वर्णित आराजीयात ख0न0 3958 रकबा 07–08
घा, ख0न0 3958/4212 रकबा 01–01 बीघा ग्राम पीपलू माधोलाल पुत्र सुजाणा गुर्जर के नाम थी। जिसके
हान्त के बाद उक्त भूमि की खातेदारी भूरी देवी के सबसे बडे पुत्र प्रतिपक्षी संख्या 01 ने अपने नाम लगवा ली।
0न0 3985 रकबा 02–00 बीघा वाके ग्राम पीपलू भूरी देवी के जीवनकाल मे संयुक्त परिवार के हितार्थ प्रतिपक्षी
ख्या 01 के नाम लक्ष्मीनारायण राजकीय सेवा मे होने एवं सबसे बडा पुत्र होने के कारण आवंटन करवायी थी।
त भूमि मे परिवार के सभी सदस्यो का बहिस्सा बराबर अधिकार आधिपत्य है। इस कारण उक्त वर्णित भूमियो
युक्त परिवार के अधिकार आधिपत्य की है। प्रतिपक्षी संख्या 01 ने दिनांक 10.12.1985 को वादग्रस्त भूमियो के
रे मे अपनी माता भूरी देवी के पक्ष मे एक पारिवारिक समझोता मौखिक रूप तये कर दिया था। जिसके तहत
क्त भूमियो का 1/2 हिस्सा भूरी देवी को दे दिया था। जिसकी बतौर एक लिखावट बाबत इकरारनामा रूबरू
वाहन 3 रूपये के स्टाम्प पर बतौर पारिवारिक समझोता तहरीर करवाकर, उस पर अपने हस्ताक्षर करवाकर भूरी
वी को दे दी थी। उस समय पक्षकारान का पिता लक्ष्मीनारायण स्वयं मौजूद था। उक्त लिखावट बकलम
णकचन्द गर्ग निवासी पीपलू से तैयार करवायी थी। प्रतिपक्षी संख्या 01 ने यह इकरार कर लिया था की संपति
ा आधा हिस्सा की मालिक भूरी देवी होगी तथा भूरी देवी के बाद उक्त आधा हिस्सा प्रार्थीगण का होगा। उक्त
लखावट के अनुसार प्रतिपक्षी संख्या 01 पाबन्द है तथा कोई भी उज्र एतराज करने से एस्टोप्ड है। प्रार्थीगण भूमि
 1/2 हिस्से पर पहले भूरी देवी काबिज थी। वर्तमान मे भूरी देवी के बाद लगातार काबिज चले आ रहे है।
तिपक्षी संख्या 01 ने अपने हिस्से मे से ख0न0 3958 रकबा 07–08 बीघा मे से 0.55 हैक्ट. तथा ख0न0
985/4212 रकबा 01–01 बीघा गै.मु. चाह का 1/2 हिस्सा जरिये रजि0 विक्रय पत्र भूरी देवी को ख0न0 3958
कबा 07–08 बीघा मे से रकबे मे से 0.2529 हैक्ट. रकबा सीता पत्नि रामफूल गुर्जर को जरिये रजि. विक्रय पत्र
यान कर दी। सीता का देहान्त हो चुका है। इस कारण उसकी भूमि उसके वारिसान के नाम ख0न0 3958/3
कबा 0.2529 हैक्ट. के रूप मे अंकित है, ख0न0 3958/2 रकबा 0.5564 हैक्ट. भूरी देवी के बाद प्रार्थीगण के नाम
कित हो चुकी है। वर्तमान मे ख0न0 3958/1 रकबा 1.0622 हैक्ट., ख0न0 3985 रकबा 0.5058 हैक्ट., ख0न0
958/4212 गै.मु. चाह मे हिस्सा 5/9 की खातेदारी गलत रूप से प्रतिपक्षी संख्या 01 के नाम जमाबंदी मे अंकित
, परन्तु उसका उक्त सम्पूर्ण रकबे मे कब्जा या खातेदारी नही है। क्योकि वह कुल खातेदारी मे से 03–04 बीघा
था चाह का 1/2 हिस्सा विक्रय कर चुका था तथा कब्जा दे चुका था। प्रतिपक्षी संख्या 01 का अब केवल मात्र
गभग 00–10 बीघा रकबा शेष बनता है। प्रार्थीगण की 04–14 बीघा भूमि है तथा गेर मुमकिन चाह मे प्रतिपक्षी
ख्या 01 का कोई हिस्सा शेष नही है, परन्तु जमाबंदी मे प्रतिपक्षी संख्या 01 के नाम अंकन होने से वह शीघ्रता से
ार्थीगण को बेदखल करने, कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग मे हस्तक्षेप करने एवं अविभाजित कृषि भूमि को कृषि

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

अकृषि मे परिवर्तन करने, भूमि को खुर्द बुर्द तथा खड्डे खोदकर बर्बाद करने व अन्य अजनबीयो को बिना विभाजन त्रुटीपूर्ण अंकन का नाजायज फायदा उठाकर रहन, दान, बेचान करने पर आमादा है। जिसका प्रतिपक्षीगण को कोई वैधानिक अधिकार नही है। अतः प्रतिपक्षी संख्या 01 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करना आवश्यक है की स्वयं, जरिये ऐजेन्ट, नौकर, रिश्तेदार/अन्य किसी के माध्यम से वादग्रस्त भूमि से प्रार्थीगण को किसी प्रकार से बेदखल नही करे। प्रार्थीगण के कब्जे काश्त मे हस्तक्षेप नही करे। भूमि को नष्ट/बर्बाद नही करे तथा अन्य के हक मे किसी प्रकार अन्तरण आदि नही करे अन्यथा प्रार्थीगण को अपार हानि होगी। पक्षकारान आपसी झगडे होगे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर की जाकर तलबी अप्रार्थी की गई। प्रतिपक्षी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री विवेक चौधरी ने वकालतनामा व जवाब मय प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया की प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध लाया गया वाद पूर्णतया गलत एवं विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण के हक मे प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति का बिन्दू तीनो ही मौजूद नही है। इस कारण प्रार्थीगण, अप्रार्थी के विरूद्ध किसी तरह का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है। उक्त आराजीयात ग्राम पीपलू में स्थित होने के अतिरिक्त शेष वर्णित तथ्य पूर्णतया गलत होने से अप्रार्थी स्वीकार नही करता है। विवादित आराजीयात से प्रार्थीगण का कोई संबंध व सरोकार नही है। अप्रार्थी अपनी आराजी का वास्तविक रूप से मालिक काबिज स्वामी है। पक्षकारान् एक ही परिवार के सदस्य होना, लक्ष्मीनारायण के पुत्र होना, भूरी देवी के पिता माधोलाल गुर्जर होना ओर भूरी देवी माधोलाल की पुत्री होना, माधोलाल, भूरी देवी एव लक्ष्मीनारायण का देहान्त होना, अप्रार्थी का प्रार्थीगण का भाई होने का तथ्य अप्रार्थी स्वीकार करता है। खा0न0 3958 व 3958/4212 वाके ग्राम पीपलू पूर्व में माधोलाल गुर्जर के नाम अंकित होना अप्रार्थी स्वीकार करता है। माधोलाल गुर्जर के देहान्त के बाद उक्त वर्णित आराजीयात का भूरी देवी के सबसे बडे पुत्र अप्रार्थी ने अपने नाम दाखिल कराने के तथ्य को अप्रार्थी स्वीकार नही करता है। उक्त आराजीयात माधोलाल से जरिये विरासत अप्रार्थी के नाम लगी है। बल्कि अप्रार्थी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीदकर आराजी की खातेदारी प्राप्त की है तथा खा0न0 3985 अप्रार्थी की आवंटित शुदा भूमि है। जिसमें भूरी देवी व प्रार्थी के पिता लक्ष्मीनारायण का एवं प्रार्थीगण का किसी तरह का कोई हक हिस्सा न तो बनता है और न ही वह अप्रार्थी से किसी तरह का कोई हिस्सा मांग करने के अधिकारी है। किसी भी पारिवारिक समझोते के तहत् अप्रार्थी ने भूरी देवी व अपने भाई रामफूल गुर्जर की पत्नि सीता देवी के नाम विक्रय पत्र नही कराया है। बल्कि अपने कोई पुत्र सन्तान नही होने तथा अप्रार्थी के अन्य भाईयो के पास में अपनी आजीविका का कोई साधन उपलब्ध नही होने की वजह से अप्रार्थी ने दयाभाव दिखाते हुए अपनी स्वअर्जित संपति का कुछ हिस्सा उनके नाम करवाया था। किन्तु अब प्रार्थीगण की नियत में बेईमानी आ गई है और उन्होने अप्रार्थी की स्वअर्जित संपत्ति को गलत रूप से प्राप्त करने के लिए झूठा व बनावटी वाद व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अगर प्रार्थीगण के विवादित आराजीयात मे किसी तरह के कोई हक अधिकार विरासत के आधार पर निहित थे तो प्राथी संख्या 01 ने अपनी पत्नि सीता देवी के नाम विक्रय क्यो कराया और क्यो भूरी देवी ने अपने नाम विक्रय पत्र कराया। उन्हे तत् समय ही अपने हक अधिकारो को लेकर वाद प्रस्तुत किया जाना

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

हिए था। क्योंकि रिकॉर्ड की जानकारी तो प्रार्थीगण को उसी समय हो चुकी थी। विवादित आराजीयात से र्थीगण को कोई संबंध सरोकार नही है। अप्रार्थी की स्वअर्जित आराजीयात मे प्रार्थीगण भाई होने के नाते विरासत कोई हक अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी नही है। अप्रार्थी एक असहाय एवं वृद्ध व्यक्ति है। जिसका जायज फायदा उठाकर प्रार्थीगण उसकी आराजी पर नाजायज रूप से काबिज होने का प्रयास कर रहे है। नावश्यक रूप से अपनी ताकत के बल पर एकराय होकर अप्रार्थी को परेशान कर भूमि हडप करने का हर संभव प्रास कर रहे है और इसी मकसद के लिए प्रार्थीगण द्वारा यह वाद प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी विरूद्ध प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थी आराजी का स्तविक रूप से मालिक काबिज स्वामी है। जिसके विरूद्ध प्रार्थीगण किसी प्रकार की निषेधाज्ञा कानूनन प्राप्त रने के अधिकारी नही है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है की प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थायी निषेधाज्ञा मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

कन्सोलिडेंट प्रार्थना पत्र
अस्थायी निषेधाज्ञा

र्थना पत्र संख्या–79/2021

र्थना पत्र प्रविष्टि दिनांक–19.08.2021

र्णय दिनांक–

नानूलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति गुर्जर निवासी ग्राम पीपलू तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

प्रार्थी

बनाम

. रामफूल पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति गुर्जर निवासी ग्राम पीपलू तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
. श्योजीराम पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति गुर्जर निवासी ग्राम पीपलू तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
. हरजीराम पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति गुर्जर निवासी ग्राम पीपलू तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
. पन्नालाल पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति गुर्जर निवासी ग्राम पीपलू तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
. महावीर पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति गुर्जर निवासी ग्राम पीपलू तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
. तहसीलदार पीपलू तह0 पीपलू जिला टोंक राज0

प्रतिपक्षीगण

धिवक्ता प्रार्थी–श्री विवेक चौधरी एड0
धिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 ता 05–राजाराम चौधरी एड0

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण मे संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि भूमि आराजी ख0न0 358/1 रकबा 1.0622 हैक्ट. व ख0न0 3985 रकबा 0.5058 हैक्ट. भूमि वाके ग्राम पीपलू पटवार हल्का पीपलू थम तह0 पीपलू जिला टोंक मे स्थित है। उक्त वर्णित आराजीयात का प्रार्थी रिकॉर्डेड खातेदार अभिधारी है और राजी पर काबिज होकर काश्त एवं उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। प्रार्थी की उक्त वर्णित आराजीयात अप्रार्थी का किसी तहरह का कोई संबंध सरोकार नही है। अप्रार्थीगण, प्रार्थी के परिवार के सदस्य ही है और ी नाते अप्रार्थीगण एकराय, एकजुट होकर प्रार्थी की उक्त वर्णित आराजीयात पर अनावश्यक विवाद उत्पन्न कर समें जबरन हिस्सो की मांग कर रहे है। जबकि अप्रार्थीगण के हिस्से की भूमि है और प्रार्थी के हिस्से की भूमि लग है एवं प्रार्थी को कई दिनो से हेरान ओर परेशान कर रहे है तथा आराजी को काश्त करने एवं अपनी तेदारी की आराजी मे प्रवेश करने से रोक रहे है। प्रार्थी को आराजी से बेदखल कर स्वयं कब्जा करने पर मादा है। प्रार्थी की उक्त वर्णित आराजीयात से अप्रार्थीगण प्रार्थी को बेदखल कर स्वयं कब्जा करने पर आमादा तथा प्रार्थी की उक्त वर्णित खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि पर जोर जबरदस्ती प्रवेश कर मजामहत व ाखलत कर रहे है। प्रार्थी को अपनी आराजी मे प्रवेश करने एवं काश्त करने पर बाधा उत्पन्न कर रहे है। प्रार्थी फसल काश्त नही करने देने की ऐलानियां धमकी दे रहे है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा ीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे की स्वयं, जरिये एजेन्ट, नौकर, रिश्तेदार या अन्य किसी दीगर व्यक्ति के माध्यम से प्रार्थी की उक्त वर्णित राजीयात में अनाधिकृत रूप से प्रवेश न करे। प्रार्थी के कब्जे काश्त मे मजामहत व मदाखलत नही करे। प्रार्थी आराजी में प्रवेश करने तथा फसल काश्त करने मे बाधा उत्पन्न नही करे। प्रार्थी को ताकत के बल से बेदखल ने का प्रयास करते हुए स्वयं आराजी पर काबिज होने का प्रयास नही करे। पाबन्द रहे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी की गई। प्रतिपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता श्री राजाराम धरी ने वकालतनामा व जवाब मय प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया की उक्त वर्णित भूमि तनहा प्रार्थी की तेदारी व कब्जे काश्त की भूमि नही है। बल्कि यह संयुक्त परिवार की व संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि है। इस ी का जमाबंदी में प्रतिपक्षी संख्या 01 के नाम तनहा अंकन त्रुटीपूर्ण है। क्योकि प्रार्थी अकेला खातेदार नही है। क इस भूमि से प्रतिपक्षी संख्या 01 ता 06 का भी हक हिस्सा है। यह भूमि पैतृक तथा संयुक्त परिवार की है। र्थी ने इस भूमि के संबंध में प्रार्थी ने उसकी नियत में बेईमानी आने के कारण झूठा दावा पेश किया है। जबकि

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

ह अपनी माता के नाम पारिवारिक विभाजन के तहत दे चुका था तथा विक्रय पत्र करवा चुका था। भूरी देवी के
रिसान प्रार्थी व प्रतिपक्षी संख्या 01 ता 05 है। जिनका सभी का हक व हिस्सा है। प्रतिपक्षी की यह भूमि
अर्जित नही है। इस भूमि के संबंध मे प्रतिपक्षी संख्या 01 ता 05 की ओर से दावे के पहले ही इस न्यायालय मे
वा उनवानी रामफूल वगै0 बनाम मेनूलाल प्रस्तुत कर रखा है। जिसकी वादी को जानकारी है, परन्तु जानबुझकर
सने यह नया दावा केवल मात्र प्रतिपक्षीगण को हैरान व परेशान करने के लिए तथा न्यायालय मे अनावश्यक
कदमेबाजी बढाने के लिए कथनी के आधार पर प्रस्तुत किया है। जबकि दावा दायरी दिनांक को सम्पूर्ण भूमि पर
र्थी का कब्जा नही रहा है। बल्कि प्रतिपक्षी संख्या 01 ता 05 का भी बहिस्सा बराबर वर्षो से आज तक काबिज
ले आ रहे है। काश्त कर रहे है। प्रार्थी का नाम जमाबंदी मे अंकित होने से प्रतिपक्षी संख्या 01 ता 05 जो प्रार्थी
सगे भाई है तथा लक्ष्मीनारायण व भूरी देवी के जायज वारिसान है। उनको नाजायज तरीके से बेदखल करने
था स्वयं कब्जा करने की नियत से झूठा दावा पेश किया है। जबकि बिना कब्जे के अस्थायी निषेधाज्ञा का दावा
प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। प्रार्थी का सम्पूर्ण भूमि से कोई लेना देना नही है। वादग्रस्त भूमि मे प्रतिपक्षीगण
हक व हिस्सा है। क्योकि भूमि संयुक्त परिवार की अविभाजित है। प्रतिपक्षीगण भी प्रार्थी के भाई व भूरी देवी के
है। जिनको अपने हिस्से पर काबिज रहकर काश्त करने का वैधानिक अधिकार प्राप्त है। जिनको किसी प्रकार
का नही जा सकता है। क्योकि तहत् कानून, प्रतिपक्षीगण सहकृषक है। जिनका घोषणा का दावा पहले से ही
ायालय मे विचाराधीन है, जो वाद संख्या 48/2021 है। जिसमें 22.09.2021 की पेशी नियत है। प्रार्थी ने
नादयक दावा पेश किया है। जो पश्चातवर्ती होने से तथा पूर्व मे ही वादग्रस्त भूमि के संबंध में दावा विचाराधीन
ने के कारण चलने योग्य नही है। इस दावे की सुनवाई स्थगित किये जाने योग्य है। प्रार्थी एवं प्रतिपक्षीगण एक
संयुक्त परिवार के सदस्य है। लक्ष्मीनारायण व भूरी देवी के पुत्र है। प्रार्थी भूरी देवी के पक्ष मे लिखावट लिख
का था, तो पारिवारिक समझौता कर चुका था। परन्तु प्रतिपक्षीगण को बेदखल करने के लिए प्रार्थी अपने द्वारा
ी देवी के पक्ष में किये गये इकरारनामे की लिखावट से मुकर रहा है तथा प्रतिपक्षीगण को बेदखल करने पर
मादा है। जबकि प्रतिपक्षीगण वर्षो से मौके पर काबिज है और काश्त करते चले आ रहे है। वादग्रस्त भूमि पर
तिपक्षीगण का खातेदारी अधिकार निहित लगातार मौके पर काबिज है। जिनको प्रार्थी इस दावे की आड मे
खल करना चाहता है। जबकि यह दावा बेदखली का नही है तथा बेदखली की डिक्री के स्थायी निषेधाज्ञा की
क्री जारी नही की जा सकती है। प्रार्थी का सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा नही है। इस कारण प्रतिपक्षीगण के विरूद्ध
षेधाज्ञा की डिक्री जारी नही की जा सकती। प्रार्थी केवल जमाबंदी में उसके नाम नुमाईशी खातेदारी अंकन होने
फायदा उठाना चाहता है तथा अस्थायी निषेधाज्ञा की आड में स्वयं सम्पूर्ण भूमि पर काबिज होना चाहता है
ा प्रतिपक्षीगण को बेदखल करना चाहता है। जबकि पक्षकारान् एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। जबकि
मे प्रार्थी की स्वअर्जित न होकर संयुक्त परिवार की भूमि है। जिसमें सभी पक्षकारान का हक है। अतः जवाब
र्थना पत्र पेश कर निवेदन है की प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष की बहस अस्थाई निषेधाज्ञा सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व तथ्यों का
वलोकन किया गया। उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत कानून व न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन कर उनसे मार्गदर्शन

उप खण्ड अधिकारी
दीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

प्त किया गया। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु न्यायालय को निम्नलिखित तीन बिन्दुओं पर पना विनिश्चय देना है :-

थम दृष्टया मामला :-

प्रथम दृष्टया मामला साबित करने का भार प्रार्थीगण पर है। प्रार्थीगण अभिभाषक ने अपनी बहस में ताया कि भूमि आराजी ख0न0 3958 रकबा 07-08 बीघा, ख0न0 3985 रकबा 02-00 बीघा, ख0न0 3958/4212 कबा 01-01 बीघा ग्राम पीपलू में स्थित है। जिसमें वर्तमान में प्रार्थीगण तथा प्रतिपक्षी संख्या 01 का हिस्से के नुसार मौके पर कब्जा काश्त है एवं उपयोग उपभोग करता चला आ रहे है। पक्षकारान् एक ही हिन्दू परिवार के दस्य है, जो भूरी देवी पत्नि लक्ष्मीनारायण के पुत्र है, भूरी देवी का पिता माधोलाल पुत्र सुजाना गुर्जर था। सके कोई पुत्र संतान नही थी। केवल एक ही पुत्री संतान थी, जो प्रार्थीगण की माता थी। माधोलाल तथा भूरी वी लक्ष्मीनारायण का देहान्त हो चुका है। प्रतिपक्षी संख्या 01 भी प्रार्थीगण का भाई है। उक्त वर्णित आराजीयात 0न0 3958 रकबा 07-08 बीघा, ख0न0 3958/4212 रकबा 01-01 बीघा ग्राम पीपलू माधोलाल पुत्र सुजाना र्जर के नाम थी। जिसके देहान्त के बाद उक्त भूमि की खातेदारी भूरी देवी के सबसे बडे पुत्र प्रतिपक्षी संख्या 01 अपने नाम लगवा ली। ख0न0 3985 रकबा 02-00 बीघा वाके ग्राम पीपलू भूरी देवी के जीवनकाल में संयुक्त रिवार के हितार्थ प्रतिपक्षी संख्या 01 के नाम लक्ष्मीनारायण राजकीय सेवा में होने एवं सबसे बडा पुत्र होने के रण आवंटन करवायी थी। इस भूमि में परिवार के सभी सदस्यो का बहिस्सा बराबर अधिकार आधिपत्य है। इस रण उक्त वर्णित भूमियां संयुक्त परिवार के अधिकार आधिपत्य की है। वर्तमान में ख0न0 3958/1 रकबा 1.0622 क्ट., ख0न0 3985 रकबा 0.5058 हैक्ट., ख0न0 3958/4212 गै.मु. चाह में हिस्सा 5/9 की खातेदारी गलत रूप प्रतिपक्षी संख्या 01 के नाम जमाबंदी में अंकित है, परन्तु उसका उक्त सम्पूर्ण रकबे में कब्जा या खातेदारी नही क्योकि वह कुल खातेदारी में से 03-04 बीघा तथा चाह का 1/2 हिस्सा विक्रय कर चुका था तथा कब्जा दे का था। प्रतिपक्षी संख्या 01 का अब केवल मात्र लगभग 00-10 बीघा रकबा शेष बनता है। प्रार्थीगण की 04-14 घा भूमि है तथा गेर मुमकिन चाह में प्रतिपक्षी संख्या 01 का कोई हिस्सा शेष नही है, परन्तु जमाबंदी में प्रतिपक्षी ख्या 01 के नाम अंकन होने से वह शीघ्रता से प्रार्थीगण को बेदखल करने, कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में तक्षेप करने एवं अविभाजित कृषि भूमि को कृषि से अकृषि में परिवर्तन करने, भूमि को खुर्द बुर्द तथा खड्डे दकर बर्बाद करने व अन्य अजनबीयो को बिना विभाजन त्रुटीपूर्ण अंकन का नाजायज फायदा उठाकर रहन, न, बेचान करने पर आमादा है। जिसका प्रतिपक्षीगण को कोई वेधानिक अधिकार नही है। अतः प्रतिपक्षी संख्या को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करना आवश्यक है।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में बताया की ख0न0 3958 व 3958/4212 वाके ग्राम पीपलू पूर्व में धोलाल गुर्जर के नाम अंकित होना अप्रार्थी स्वीकार करता है। माधोलाल गुर्जर के देहान्त के बाद उक्त वर्णित राजीयात का भूरी देवी के सबसे बडे पुत्र अप्रार्थी ने अपने नाम अंकन कराने के तथ्य को अप्रार्थी स्वीकार नही रता है। उक्त आराजीयात माधोलाल से जरिये विरासत अप्रार्थी के नाम लगी है। बल्कि अप्रार्थी ने जरिये

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

स्टर्ड विक्रय पत्र खरीदकर आराजी की खातेदारी प्राप्त की है तथा ख0न0 3985 अप्रार्थी की आवंटित शुदा भूमि जिसमें भूरी देवी व प्रार्थी के पिता लक्ष्मीनारायण का एवं प्रार्थीगण का किसी तरह का कोई हक हिस्सा न तो है और न ही वह अप्रार्थी से किसी तरह का कोई हिस्सा मांग करने के अधिकारी है। किसी भी पारिवारिक होते के तहत् अप्रार्थी ने भूरी देवी व अपने भाई रामफूल गुर्जर की पत्नि सीता देवी के नाम विक्रय पत्र नही या है। बल्कि अपने कोई पुत्र सन्तान नही होने तथा अप्रार्थी के अन्य भाईयो के पास मे अपनी आजीविका का साधन उपलब्ध नही होने की वजह से अप्रार्थी ने दयाभाव दिखाते हुए अपनी स्वअर्जित संपति का कुछ हिस्सा के नाम करवाया था। किन्तु अब प्रार्थीगण की नियत मे बेईमानी आ गई है और उन्होने अप्रार्थी की स्वअर्जित ति को गलत रूप से प्राप्त करने के लिए झूठा व बनावटी वाद व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो खारिज किये योग्य है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय हर्जा खर्चा निरस्त किया जावे।

उभय पक्षकारान् की समस्त बहस व पत्रावली पर प्रस्तुत सामग्री दस्तावेजात, कानून व न्यायिक दृष्टांतो गहनता से अवलोकन किया गया। उभयपक्ष द्वारा अपनी बहस मे दिये गये अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र, जवाब ना पत्र, दस्तावेजों व न्यायिक निर्णयो व न्यायिक दृष्टांतो से मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। लिहाजा अधिवक्ता ीगण का कथन है की भूमि आराजी ख0न0 3958, 3985, 3958/4212 वाके ग्राम पीपलू जिसमें वर्तमान में ीगण तथा प्रतिपक्षी संख्या 01 का हिस्से के अनुसार मौके पर कब्जा काश्त है एवं उपयोग उपभोग करता चला रहे है। पक्षकारान् एक ही हिन्दू परिवार के सदस्य है, जो भूरी देवी पत्नि लक्ष्मीनारायण के पुत्र है, भूरी देवी का ा माधोलाल पुत्र सुजाना गुर्जर था। जिसके कोई पुत्र संतान नही थी। केवल एक ही पुत्री संतान थी, जो ीगण की माता थी। माधोलाल तथा भूरी देवी, लक्ष्मीनारायण का देहान्त हो चुका है। प्रतिपक्षी संख्या 01 भी ीगण का भाई है। जिसके देहान्त के बाद उक्त भूमि की खातेदारी भूरी देवी के सबसे बडे पुत्र प्रतिपक्षी संख्या ने अपने नाम लगवा ली। ख0न0 3985 रकबा 02–00 बीघा वाके ग्राम पीपलू भूरी देवी के जीवनकाल में ुक्त परिवार के हितार्थ प्रतिपक्षी संख्या 01 के नाम लक्ष्मीनारायण राजकीय सेवा मे होने एवं सबसे बडा पुत्र होने कारण आवंटन करवायी थी। इस भूमि में परिवार के सभी सदस्यो का बहिस्सा बराबर अधिकार आधिपत्य है। कारणं उक्त वर्णित भूमियां संयुक्त परिवार के अधिकार आधिपत्य की है, आदि ऐसे बिन्दूं है। जिनका उभयपक्ष साक्ष्य सुनवाई के बाद ही तय किये जा सकते है। अतः उभयपक्ष को वाद के निस्तारण तक पाबन्द किया ना आवश्यक है।

विधा का संतुलन :–

प्रार्थीगण अभिभाषक ने बहस में बताया की भूमि आराजी ख0न0 3958, 3985, 3958/4212 ग्राम पीपलू स्थित है। जिसमें वर्तमान में प्रार्थीगण तथा प्रतिपक्षी संख्या 01 का हिस्से के अनुसार मौके पर कब्जा काश्त है ं उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। पक्षकारान् एक ही हिन्दू परिवार के सदस्य है, जो भूरी देवी पत्नि क्ष्मीनारायण के पुत्र है, भूरी देवी का पिता माधोलाल पुत्र सुजाना गुर्जर था। जिसके कोई पुत्र संतान नही थी। वल एक ही पुत्री संतान थी, जो प्रार्थीगण की माता थी। माधोलाल तथा भूरी देवी लक्ष्मीनारायण का देहान्त हो

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

का है। प्रतिपक्षी संख्या 01 भी प्रार्थीगण का भाई है। उक्त वर्णित आराजीयात ख0न0 3958, 3958/4212 ग्राम
पलू माधोलाल पुत्र सुजाना गुर्जर के नाम थी। जिसके देहान्त के बाद उक्त भूमि की खातेदारी भूरी देवी के
बसे बडे पुत्र प्रतिपक्षी संख्या 01 ने अपने नाम लगवा ली तथा ख0न0 3985 रकबा 02-00 बीघा वाके ग्राम पीपलू
री देवी के जीवनकाल मे संयुक्त परिवार के हितार्थ प्रतिपक्षी संख्या 01 के नाम लक्ष्मीनारायण राजकीय सेवा में
ने एवं सबसे बडा पुत्र होने के कारण आवंटन करवायी थी। इस भूमि मे परिवार के सभी सदस्यों का बहिस्सा
बर अधिकार आधिपत्य है। इस कारण उक्त वर्णित भूमियां संयुक्त परिवार के अधिकार आधिपत्य की है।
तिपक्षी संख्या 01 ने दिनांक 10.12.1985 को वादग्रस्त भूमियो के बारे मे अपनी माता भूरी देवी के पक्ष में एक
रिवारिक समझौता मौखिक रूप से कर दिया था। जिसके तहत् उक्त भूमियो का 1/2 हिस्सा भूरी देवी को दे
या था। जिसकी बतौर एक लिखावट बाबत् इकरारनामा रूबरू गवाहन 3 रूपये के स्टाम्प पर बतौर पारिवारिक
मझौता तहरीर करवाकर, उस पर अपने हस्ताक्षर करवाकर भूरी देवी को दे दी थी। उस समय पक्षकारान् का
ता लक्ष्मीनारायण स्वयं मौजूद था। प्रतिपक्षी संख्या 01 ने यह इकरार कर लिया था, की संपत्ति का आधा हिस्सा
मालिक भूरी देवी होगी तथा भूरी देवी के बाद उक्त आधा हिस्सा प्रार्थीगण का होगा। उक्त लिखावट के
नुसार प्रतिपक्षी संख्या 01 पाबन्द है तथा कोई भी उज्र एतराज करने से एस्टोप्ड है। प्रार्थीगण भूमि के 1/2
स्से पर पहले भूरी देवी काबिज थी। वर्तमान मे भूरी देवी के बाद लगातार काबिज चले आ रहे है। प्रतिपक्षी
ख्या 01 ने अपने हिस्से में से ख0न0 3958 रकबा 07-08 बीघा मे से 0.55 हैक्ट. तथा ख0न0 3985/4212
बा 01-01 बीघा गै.मु. चाह का 1/2 हिस्सा जरिये रजि0 विक्रय पत्र भूरी देवी को ख0न0 3958 रकबा 07-08
घा में से रकबे में से 0.2529 हैक्ट. रकबा सीता पत्नि रामफूल गुर्जर को जरिये रजि. विक्रय पत्र बेचान कर दी।
ता का देहान्त हो चुका है। इस कारण उसकी भूमि उसके वारिसान के नाम ख0न0 3958/3 रकबा 0.2529
हैक्ट. के रूप में अंकित है, ख0न0 3958/2 रकबा 0.5564 हैक्ट. भूरी देवी के बाद प्रार्थीगण के नाम अंकित हो
चुकी है। वर्तमान में ख0न0 3958/1 रकबा 1.0622 हैक्ट., ख0न0 3985 रकबा 0.5058 हैक्ट., ख0न0 3958/4212
गै.मु. चाह में हिस्सा 5/9 की खातेदारी गलत रूप से प्रतिपक्षी संख्या 01 के नाम जमाबंदी में अंकित है। कुल
खातेदारी में से 03-04 बीघा तथा चाह का 1/2 हिस्सा विक्रय कर चुका था तथा कब्जा दे चुका था। प्रतिपक्षी
संख्या 01 का अब केवल मात्र लगभग 00-10 बीघा रकबा शेष बनता है। प्रार्थीगण की 04-14 बीघा भूमि है तथा
गै.मुमकिन चाह में प्रतिपक्षी संख्या 01 का कोई हिस्सा शेष नही है, परन्तु जमाबंदी में प्रतिपक्षी संख्या 01 के नाम
अंकन होने से वह शीघ्रता से प्रार्थीगण को बेदखल करने, कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में हस्तक्षेप करने एवं
विनाजित कृषि भूमि को कृषि से अकृषि में परिवर्तन करने, भूमि को खुर्द बुर्द तथा त्रुटीपूर्ण अंकन का नाजायज
फायदा उठाकर रहन, दान, बेचान करने पर आमादा है। जिसका प्रतिपक्षीगण को कोई वैधानिक अधिकार नही है।
अतः प्रतिपक्षी संख्या 01 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करना आवश्यक है की स्वयं, जरिये ऐजेन्ट, नौकर
ठेकेदार/अन्य किसी के माध्यम से वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नही करे तथा किसी
अन्य के हक में किसी प्रकार अन्तरण आदि नही करे।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 01 ने अपनी बहस मे बताया की ख0न0 3958 व 3958/4212 वाके ग्राम पीपलू पूर्व मे माधोलाल गुर्जर के नाम अंकित होना अप्रार्थी स्वीकार करता है। माधोलाल गुर्जर के देहान्त के बाद उक्त वर्णित आराजीयात का भूरी देवी के सबसे बडे पुत्र अप्रार्थी ने अपने नाम अंकन कराने के तथ्य को अप्रार्थी स्वीकार नही करता है। उक्त आराजीयात माधोलाल से जरिये विरासत अप्रार्थी के नाम लगी है। बल्कि अप्रार्थी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीदकर आराजी की खातेदारी प्राप्त की है तथा ख0न0 3985 अप्रार्थी की आवंटित शुदा भूमि है। जिसमे भूरी देवी व प्रार्थी के पिता लक्ष्मीनारायण का एवं प्रार्थीगण का किसी तरह का कोई हक हिस्सा न तो बनता है और न ही वह अप्रार्थी से किसी तरह का कोई हिस्सा मांग करने के अधिकारी है। किसी भी पारिवारिक समझोते के तहत् अप्रार्थी ने भूरी देवी व अपने भाई रामफूल गुर्जर की पत्नि सीता देवी के नाम विक्रय पत्र नही कराया है। बल्कि अपने कोई पुत्र सन्तान नही होने तथा अप्रार्थी के अन्य भाईयो के पास मे अपनी आजीविका का कोई साधन उपलब्ध नही होने की वजह से अप्रार्थी ने दयाभाव दिखाते हुए अपनी स्वअर्जित संपति का कुछ हिस्सा उनके नाम करवाया था। किन्तु अब प्रार्थीगण की नियत मे बेईमानी आ गई है और उन्होने अप्रार्थी की स्वअर्जित संपत्ति को गलत रूप से प्राप्त करने के लिए झूठा व बनावटी वाद व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अगर प्रार्थीगण के विवादित आराजीयात में किसी तरह के कोई हक अधिकार विरासत के आधार पर निहित थे तो अप्रार्थी संख्या 01 ने अपनी पत्नि सीता देवी के नाम विक्रय क्यो कराया और क्यो भूरी देवी ने अपने नाम विक्रय पत्र कराया। उन्हे तत् समय ही अपने हक अधिकारो को लेकर वाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। क्योंकि रिकॉर्ड की जानकारी तो प्रार्थीगण को उसी समय हो चुकी थी। विवादित आराजीयात से प्रार्थीगण को कोई संबंध सरोकार नही है। अप्रार्थी की स्वअर्जित आराजीयात में प्रार्थीगण भाई होने के नाते विरासत का कोई हक अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी नही है। अतः प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है।

उभय पक्षकारान की समस्त बहस व पत्रावली पर प्रस्तुत सामग्री दस्तावेजात, कानून व न्यायिक दृष्टांतो का गहनता से अवलोकन किया गया। उभयपक्ष द्वारा अपनी बहस में दिये गये अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, दस्तावेजों व न्यायिक निर्णयो व न्यायिक दृष्टांतो से मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। चूंकि विवादित आराजीयात पैतृक है या नही। भूमियां संयुक्त परिवार के अधिकार आधिपत्य की है या नही, आदि ऐसे बिन्दू है। जिनका उभयपक्ष की साक्ष्य सुनवाई के बाद ही तय किये जा सकते है। अतः उभयपक्ष को वाद के निस्तारण तक पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अपूर्णनीय क्षति :–

प्रार्थीगण अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया की उक्त विवादित आराजीयात में प्रार्थीगण भूमि आराजी ख0न0 3958, 3985, 3958/4212 ग्राम पीपलू जिला टोंक में स्थित है। जिसमें वर्तमान में प्रार्थीगण तथा प्रतिपक्षी संख्या 01 का हिस्से के अनुसार मौके पर कब्जा काश्त है एवं उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। पक्षकारान संयुक्त ही हिन्दू परिवार के सदस्य है, जो भूरी देवी पत्नि लक्ष्मीनारायण के पुत्र है, भूरी देवी का पिता माधोलाल पुत्र

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

गुजाना गुर्जर था। जिसके कोई पुत्र संतान नही थी। केवल एक ही पुत्री संतान थी, जो प्रार्थीगण की माता थी। मांगीलाल तथा भूरी देवी, लक्ष्मीनारायण का देहान्त हो चुका है। भूरी देवी के देहान्त के बाद उक्त वर्णित आराजीयात को भूरी देवी के सबसे बडे पुत्र प्रतिपक्षी संख्या 01 ने अपने नाम लगवा ली। ख0न0 3985 रकबा 02-00 बीघा वाके ग्राम पीपलू भूरी देवी के जीवनकाल में संयुक्त परिवार के हितार्थ प्रतिपक्षी संख्या 01 के नाम लक्ष्मीनारायण राजकीय सेवा में होने एवं सबसे बडा पुत्र होने के कारण आवंटन करवायी थी। इस भूमि में परिवार के सभी सदस्यो का बहिस्सा बराबर अधिकार आधिपत्य है। इस कारण उक्त वर्णित भूमियां संयुक्त परिवार के अधिकार आधिपत्य की है। प्रतिपक्षी संख्या 01 ने दिनांक 10.12.1985 को वादग्रस्त भूमियो के बारे में अपनी माता भूरी देवी के पक्ष में एक पारिवारिक समझोता मौखिक रूप से कर दिया था। जिसके तहत् उक्त भूमियो का 1/2 हिस्सा भूरी देवी को दे दिया था। जिसकी बतोर एक लिखावट बाबत् इकरारनामा रूबरू गवाहन 3 रूपये के स्टाम्प पर बतोर पारिवारिक समझोता तहरीर करवाकर, उस पर अपने हस्ताक्षर करवाकर भूरी देवी को दे दी थी। प्रार्थीगण वर्तमान में भूरी देवी के बाद लगातार काबिज चले आ रहे है। प्रतिपक्षी संख्या 01 का कोई हिस्सा शेष नही है, परन्तु जमाबंदी में प्रतिपक्षी संख्या 01 के नाम अंकन होने से वह शीघ्रता से प्रार्थीगण को बेदखल करने, कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में हस्तक्षेप करने एवं अविभाजित कृषि भूमि को कृषि से अकृषि में परिवर्तन करने, भूमि को खुर्द बुर्द तथा खड्डे खोदकर बर्बाद करने व अन्य अजनबीयो को बिना विभाजन त्रुटीपूर्ण अंकन का नाजायज फायदा उठाकर रहन, दान, बेचान करने पर आमादा है। अतः प्रतिपक्षी संख्या 01 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करना आवश्यक है की स्वयं, जरिये ऐजेन्ट, नौकर, रिश्तेदार/अन्य किसी के माध्यम से वादग्रस्त भूमि से प्रार्थीगण को किसी प्रकार से बेदखल नही करे। प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नही करे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 ने अपनी बहस में बताया की भूमि आराजी ख0न0 3958/1 व ख0न0 3985 भूमि वाके ग्राम पीपलू में स्थित है। उक्त वर्णित आराजीयात का प्रार्थी रिकॉर्डेड खातेदार अभिधारी है और आराजी पर काबिज होकर काश्त एवं उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। प्रार्थी की उक्त वर्णित आराजीयात से अप्रार्थी का किसी तहरह का कोई संबंध सरोकार नही है। अप्रार्थीगण, प्रार्थी के परिवार के सदस्य ही है और इसी नाते अप्रार्थीगण एकराय, एकजुट होकर प्रार्थी की उक्त वर्णित आराजीयात पर अनावश्यक विवाद उत्पन्न कर उसमें जबरन हिस्सो की मांग कर रहे है। जबकि अप्रार्थीगण के हिस्से की भूमि है और प्रार्थी के हिस्से की भूमि अलग है एवं प्रार्थी को कई दिनो से हेरान ओर परेशान कर रहे है तथा आराजी को काश्त करने एवं अपनी खातेदारी की आराजी में प्रवेश करने से रोक रहे है। प्रार्थी को आराजी से बेदखल कर स्वयं कब्जा करने पर आमादा है। अप्रार्थीगण, प्रार्थी को बेदखल कर स्वयं कब्जा करने पर आमादा है तथा प्रार्थी की उक्त वर्णित खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि पर जोर जबरदस्ती प्रवेश कर मजामहत व मदाखलत कर रहे है। प्रार्थी को अपनी आराजी में प्रवेश करने एवं काश्त करने पर बाधा उत्पन्न कर रहे है तथा ख0न0 3985 अप्रार्थी की आवंटित शुदा भूमि है। जिसमें भूरी देवी व प्रार्थी के पिता लक्ष्मीनारायण का एवं प्रार्थीगण का किसी तरह का कोई हक हिस्सा न तो बनता है और न ही वह अप्रार्थी से किसी तरह का कोई हिस्सा मांग करने के अधिकारी है। किसी भी पारिवारिक समझोते के तहत् अप्रार्थी ने भूरी देवी व अपने भाई रामफूल गुर्जर की पत्नि सीता देवी के नाम विक्रय पत्र नही कराया है।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

बल्कि अपने कोई पुत्र सन्तान नही होने तथा अप्रार्थी के अन्य भाईयो के पास में अपनी आजीविका का कोई साधन उपलब्ध नही होने की वजह से अप्रार्थी ने दयाभाव दिखाते हुए अपनी स्वअर्जित संपति का कुछ हिस्सा उनके नाम करवाया था। किन्तु अब प्रार्थीगण की नियत मे बेईमानी आ गई है और उन्होने अप्रार्थी की स्वअर्जित संपति को गलत रूप से प्राप्त करने के लिए झूठा व बनावटी वाद व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली व राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है की उभय पक्षकारान की समस्त बहस व पत्रावली पर प्रस्तुत सामग्री दस्तावेजात, कानून व न्यायिक दृष्टांतो का गहनता से अवलोकन किया गया। उभयपक्ष द्वारा अपनी बहस में दिये गये अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, दस्तावेजों व न्यायिक निर्णयो व न्यायिक दृष्टांतो से मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। चूंकि विवादित आराजीयात पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है या अप्रार्थीगण, भूमियां संयुक्त परिवार के अधिकार आधिपत्य की है या नही, आदि से बिन्दू है। जिनका उभयपक्ष की साक्ष्य सुनवाई के बाद ही तय किये जा सकते है। वैसे भी यदि अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है, पक्षकारान् द्वारा उक्त विवादित आराजीयात को खुर्द बुर्द, रहन, दान, बेचान कर सकते है। जिससे पक्षकारान् के मध्य विवाद बढने की संभावना है। इससे पक्षकारान् को अपूरणीय क्षति कारित होगी। अतः उभयपक्ष को वाद के निस्तारण तक पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है।

::आदेश::

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीरे प्रकरण में पूर्णतया चस्पा होती है। अतः प्रकरण में उपरोक्त तीनो बिन्दू उभयपक्ष के विरुद्ध तय किये गये है। इसलिए उभयपक्ष को वाद के निस्तारण तक पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। प्रार्थीगण का कथन है की पक्षकारान् एक ही हिन्दू परिवार के सदस्य है, जो भूरी देवी पत्नि लक्ष्मीनारायण के पुत्र है। भूरी देवी का पिता माधोलाल पुत्र सुजाना गुर्जर था। जिसके कोई पुत्र संतान नही थी। केवल एक ही पुत्री संतान थी, जो प्रार्थीगण की माता थी। माधोलाल तथा भूरी देवी लक्ष्मीनारायण का देहान्त हो चुका है। प्रतिपक्षी संख्या 01 ने दिनांक 10.12.1985 को वादग्रस्त भूमियो के बारे में अपनी माता भूरी देवी के पक्ष में एक पारिवारिक समझोता मौखिक रूप से कर दिया था। जिसके तहत् उक्त भूमियो का 1/2 हिस्सा भूरी देवी को दे दिया था। उसकी बतोर एक लिखावट बाबत् इकरारनामा रूबरू गवाहन 3 रूपये के स्टाम्प पर बतोर पारिवारिक समझोता तहरीर करवाकर, उस पर अपने हस्ताक्षर करवाकर भूरी देवी को दे दी थी। उस समय पक्षकारान् का पिता लक्ष्मीनारायण स्वयं मौजूद था। इकरारनामा अनुसार संपत्ति का आधा हिस्सा की मालिक भूरी देवी होगी तथा भूरी देवी के बाद उक्त आधा हिस्सा प्रार्थीगण का होगा। उक्त लिखावट के अनुसार प्रतिपक्षी संख्या 01 पाबन्द है। प्रार्थीगण का कथन है की अप्रार्थी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीदकर आराजी की खातेदारी प्राप्त की

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

था ख0न0 3985 अप्रार्थी की आवंटित शुदा भूमि है। जिसमें भूरी देवी व प्रार्थी के पिता लक्ष्मीनारायण का एवं र्गिण का किसी तरह का कोई हक हिस्सा न तो बनता है और न ही वह अप्रार्थी से किसी तरह का कोई सा मांग करने के अधिकारी है। किसी भी पारिवारिक समझोते के तहत् अप्रार्थी ने भूरी देवी व अपने भाई फूल गुर्जर की पत्नि सीता देवी के नाम विक्रय पत्र नही कराया है। बल्कि अपने कोई पुत्र सन्तान नही होने । अप्रार्थी के अन्य भाईयो के पास में अपनी आजीविका का कोई साधन उपलब्ध नही होने की वजह से अप्रार्थी दयाभाव दिखाते हुए अपनी स्वअर्जित संपति का कुछ हिस्सा उनके नाम करवाया था। किन्तु अब प्रार्थीगण की त में बेईमानी आ गई है और उन्होने अप्रार्थी की स्वअर्जित संपत्ति को गलत रूप से प्राप्त करने के लिए झूठा बनावटी वाद व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण के अधिवक्ता का मुख्य तर्क है यह कि उक्त विवादित यां पैतृक भूमिया है। जिसमें प्रार्थीगण का हक हिस्सा निहित है, इत्यादि ऐसे बिन्दू है जो कि पक्षकारान की य के आने के पश्चात् ही तय किये जा सकते है। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रक्रम पर तय नही किये जा सकते है, उक्त प्रकरण में अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पक्षकारान् द्वारा खुर्द बुर्द किया जा सकता है। ससे वाद की बहुलता व जटिलता बढेगी एवं वाद के विचारण में कई समस्याये उत्पन्न होगी। अतः प्रकरण में थायी निषेधाज्ञा उभयपक्ष के विरूद्ध तय किये गये है। इसलिए उपरोक्त विवेचनानुसार अन्तरिम अस्थायी धाज्ञा आदेश दिनांक 09.06.2021 व 19.08.2021 ताफैसला वाद कन्फर्म किया जाता है एवं उभयपक्ष को थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है की उक्त वर्णित आराजीयात को रहन, दान, बेचान नही करे। राजस्व कॉर्ड एवं मौके की यथास्थिती बनाये रखे। निर्णय आज दिनांक 01.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। ावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो एवं नम्बर से कम हो।

(अनिल कुमार चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, पीपलू
जिला टोंक (राज0)

Scanned with CamScanner